

कार्यालय निदेशक तैय्यतरी शिक्षा, हरियाणा कच्छीक  
आदेश क्रमांक 23/104-90 दिनांक 11/2 दिनांक कच्छीक 19-3-99

जेन पब्लिक स्कूल रोहतक की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शिक्षा से हटती त्तर तक की सम्बन्धता सेने हेतु अनाधिकृत प्रमाण पत्र हत की पर प्रमाण दिया जाता है कि :-

विभागत त्रय-2 पर जारी की जाने वाली हत विमान की शिक्षाओं की प्राप्ति करता रहेगा । विभागीय शिक्षाओं की प्राप्ति न करने पर यह अनाधिकृत प्रमाण-पत्र वापिस दिया जा सकता है ।

सन्तोषीक

निदेशक तैय्यतरी शिक्षा, हरियाणा,  
कच्छीक

पुठ क्रमांक तम दिनांक, कच्छीक 23/104-90

हतकी एक प्रती निम्नलिखित को सूचना के अनुसार कार्यवाही हेतु दिया जाती है

1. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक के आदि क्रमांक त्या-5-99/1766 दिनांक 1-3-99 के तन्म में ।
2. सुभाष जेन पब्लिक स्कूल रोहतक
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कच्छीक सेंटर प्रीत विहार पथ दिल्ली, 110092.

अधीक शिक्षा

सुते निदेशक तैय्यतरी शिक्षा, हरियाणा  
कच्छीक

Principal  
Jain Public School  
ROHTAK